

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

नम्बरी 144 धारा 20 - 507

लुखरी देवी  
उपनाम

पथक पक्ष

सुबाल अंगारी वगैरे  
द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 110/21 धारा 144 द.प.सं. 20

आदेश-पत्रक

(द्वितीय अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं. नं. त. 0 ..... से ..... तक

जिला ..... सं. 20

केस का प्रकार

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>19/03/21</p>	<p>धारा 144 द.प.सं. 20 के अंतर्गत कार्यवाही/नोटिस में शान्त प्रभारी/अंचल अधिकारी <u>खिरनी</u> के पत्रक <u>1612</u> दिनांक <u>13/03/21</u> के द्वारा समर्पित किया गया ऑर्डर प्रतिवेदन के अनुसार को बाद संतुष्ट हैं कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति बरतने की आशंका है एवं उभय पक्ष एकत्र के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में शांति बरत, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो गैर आधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हैं कि इस मामले में हस्तक को दूर करने तथा हस्ताके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही आवश्यक है।</p> <p>इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द.प.सं. 20 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा एक जाता है उभय ही उभय पक्षों से दिनांक <u>05/04/21</u> को कारण पूछने की आज्ञा की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को संतुष्ट किया जाय।</p> <p style="text-align: center;">विवादग्रस्त भूमि का विवरण</p> <p><u>मौजा - बरहमसिया, धारा - खिरनी, जिला - गिरिडीह</u>  <u>खाला सं. 35, प्लॉट सं. - 01/972, ख.सं. - 50</u>  <u>(1) प्रथम पक्ष सं. - बालेश्वर राजा का पक्ष</u>  <u>सं. - नीम कुंआ ख.सं. पक्ष, सं. - हरिपाल</u>  <u>सं. - हिरापाल ख.सं. का पक्ष</u>  <u>(2) द्वितीय पक्ष सं. - बरहमसिया परकामा मुख्य</u>  <u>ख.सं. सं. - साधु खान का पक्ष, सं. - रास्ता</u>  <u>ख.सं. - हिरापाल ख.सं. का पक्ष, सं. - पामेश्वर</u></p>	

आदेश की  
कृपा सं०  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की  
तारीख  
के तारीख  
दिपनी तारीख  
सहित

1

2

पदा का पञ्चान  
लेखापित एवं संशोधित

शत्रु दामोदर  
दस्तावेज - खरीद

शत्रु दामोदर  
दस्तावेज - खरीद

05/08/21

अभिलेख उपस्थापित। उपय पत्र

उपरिपत्र। To 24/08/21

शत्रु दामोदर

26/08/21

अभिलेख उपस्थापित। उपय पत्र

उपरिपत्र। To 9/09/21 for etc.

शत्रु दामोदर

09/09/21

उपय पत्र अभिलेख के माध्यम से

उपय। द्वितीय पत्र उपय। विनीत-पत्र डेकारा उपय  
दस्तावेज। अभिलेख 16/09/21 को एवं

शत्रु दामोदर

आदेश की क्रं सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/09/11	<p>उपयुक्त जमीन उपलब्ध। उपयुक्त प्लान- क्र. 81/1- डायग्नोस्टिक प्लान-डिवा गया है।</p> <p>उपयुक्त प्लान के अनुसार खाना सं० - 35, प्लान सं० - 1/272, रकबा - 50 बी. महे 06 बी. गैरमंजूर खाना (बाना की है। पंजी-2 में जमराम परवार एवं हुसेनपरवार के नाम से जमाबंदी कायम है जिसकी लगान रसीद 2021- 22 तक निर्गत है। जिसके अधीन प्लान उपयुक्त प्लान का सांनिध्य रकबा - कठमा है। उपयुक्त जमीन उपयुक्त प्लान को भूखर्च अमींदार द्वारा अनिबंधित हुसनाबा से प्राप्त है। अपने रावे के समर्थन में उपयुक्त प्लान के द्वारा हुसनाबा, कार्य अमींग रिपोर्ट एवं अमींदारी रसीद की द्वारा पुनः रिकॉर्ड किया गया है।</p> <p>द्वितीय प्लान के अनुसार उपयुक्त भूमि पर आज से जमाबंदी 30 वर्षों के लिए रिहायशी मकान बना हुआ है जिस पर प्लान-144 के अंतर्गत बाद चलाया जाना उचित नहीं है।</p> <p>यहां उपयुक्त बिदनी एवं अंचल अधिकारी, बिदनी के प्रतिवेदन का अब लगे हुए बिधा।</p>	

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>अंशदा अधिकारी बिदनी के पुनर्वहन के अन्तर्गत उपर पक्ष को भूदान से एवं द्वितीय पक्ष को भू-बंदोबस्ती से पुनर्गठन भूमि प्राप्त है। द्वितीय पक्ष के विद्वान रविदास द्वारा उक्त जमीन को विद्वान पत्र सं० - 106, दिनांक - 06/01/2012 के द्वारा द्वितीय पक्ष के दुबालरक अंशदा को विद्वान विद्या प्राप्त है। पुनर्गठन भूमि पर 8 बीघर जमीन को छोड़कर बिभिन्न रैयतों का मकान एवं दुकान अवस्थित है।</p> <p>उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के विद्वान रविदास द्वारा बंदोबस्ती की जमीन का विद्वान द्वितीय पक्ष के दुबालरक अंशदा की पत्नी मुना लालुन को विद्या है, जबकी बंदोबस्ती की जमीन अहलांतरणीय होती है। साथ ही आवासीय मकान एवं दुकान पुनर्गठन भूमि पर बना हुआ है, अतः बाद की कार्यवाई चलाना उचित नहीं है। अतः बाद की कार्यवाई से समाप्त किया जाता है तथा दिनांक 19/3/21 के आदेश को निरस्त किया जाता है।</p>	

16/09/21  
52/11